

पत्रसूचनाकार्यालय
भारतसरकार
गृहमंत्रालय

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा “पीएम स्वनिधि योजना कोरोना के समय करोड़ों गरीबों की सहायता कर उन्हें आजीविका से पुनः जोड़ने का काम कर रही है”

“स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए ‘पीएम स्वनिधि’ योजना मोदी जी की दूरदर्शी सोच और गरीब वर्ग के कल्याण के प्रति उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है”

“पीएम स्वनिधि छोटे व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने व नये भारत की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रही है”

“भारत का विकास उसके हर नागरिक के विकास में समाहित है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध हैं”

भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को पुनः आजीविका से जोड़ने के लिए एक जून 2020 को ‘पीएम स्वनिधि’ योजना की शुरुआत की थी

09.09.2020

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि “पीएम स्वनिधि योजना कोरोना के समय करोड़ों गरीबों की सहायता कर उन्हें आजीविका से पुनः जोड़ने का काम कर रही है”। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज मध्यप्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ “स्वनिधि संवाद” के बाद अपने ट्वीट्स में श्री शाह ने कहा कि “स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए ‘पीएम स्वनिधि’ योजना मोदी जी की दूरदर्शी सोच और गरीब वर्ग के कल्याण के प्रति उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है”।

इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि “पीएम स्वनिधि छोटे व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने व नये भारत की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रही है”। केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “भारत का विकास उसके हर नागरिक के विकास में समाहित है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध हैं”।

भारत सरकारने कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को पुनः आजीविका से जोड़ने के लिए एक जून 2020 को ‘पीएम स्वनिधि’ योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं जिसे एक वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में चुकाना होगा। समय पर या जल्दी ऋण चुकाने पर 7 प्रतिशत की सालाना ब्याज सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से

लाभार्थियों के बैंक खातों में त्रैमासिक आधार पर डाल दी जाएगी। ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यह योजना कैश बैक प्रोत्साहन के रूप में हर महीने 100 रुपये तक की राशि देते हुए डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा देती है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स समय पर/जल्दी ऋण चुकाते हुए क्रेडिट सीमा को बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठाकर आर्थिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षा को भी पूरा कर सकते हैं।

<https://twitter.com/AmitShah/status/1303583169254318085?s=20>

<https://twitter.com/AmitShah/status/1303583517457092613?s=20>

एनडब्ल्यू/आरके/पीके/एडी/डीडीडी